

अपकृत्य (Tort)

अपकृत्य (Tort) एक नागरिक अधिनियम या कृत्य है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसा नुकसान या क्षति पहुँचती है जो गैर-कानूनी (unlawful) और अन्यायपूर्ण (wrongful) हो। यह एक **नागरिक विधिक अपराध (civil wrong)** है, जिसका उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को न्याय और मुआवजा प्रदान करना है।

परिभाषा:

- **सलमंड** के अनुसार: “अपकृत्य एक ऐसा नागरिक गलत है, जो किसी कानूनी कर्तव्य के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होता है, और जिसके लिए पीड़ित मुआवजे का दावा कर सकता है।”
- **विनफील्ड** के अनुसार: “अपकृत्य वह कृत्य है जिससे किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी मान्यता प्राप्त अधिकार का उल्लंघन होता है।”

अपकृत्य के तत्व (Elements of Tort):

- 1. कानूनी अधिकार का उल्लंघन:**
 - अपकृत्य तभी होगा जब किसी व्यक्ति के वैध कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो।
 - उदाहरण: संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण, शारीरिक चोट, या मानहानि।
- 2. किसी का कृत्य (Act or Omission):**
 - अपकृत्य एक सकारात्मक कृत्य (जैसे हमला करना) या किसी कर्तव्य का पालन न करने (जैसे लापरवाही) के कारण हो सकता है।
- 3. क्षति (Damage):**
 - अपकृत्य तभी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति को उस कृत्य से वास्तविक नुकसान हुआ हो।
 - नुकसान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है।
- 4. मुआवजा योग्य (Compensation):**
 - पीड़ित व्यक्ति को क्षति पूर्ति के रूप में मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होता है।

अपकृत्य के प्रकार:

- 1. शारीरिक अपकृत्य (Personal Tort):**
 - शारीरिक चोट, हमले (assault), या झूठे कारावास (false imprisonment) से संबंधित।
- 2. संपत्ति से संबंधित अपकृत्य (Property Tort):**
 - जैसे संपत्ति पर अतिक्रमण (trespass) या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
- 3. प्रतिष्ठा से संबंधित अपकृत्य (Reputation Tort):**
 - मानहानि (defamation) के मामले।
- 4. आर्थिक अपकृत्य (Economic Tort):**
 - अनुबंध का उल्लंघन या व्यापार में हस्तक्षेप।

उदाहरण:

- 1. लापरवाही (Negligence):** यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज का सही इलाज करने में असावधानी करता है और मरीज को नुकसान होता है।
- 2. मानहानि (Defamation):** किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को झूठे आरोपों से हानि पहुंचाना।
- 3. संपत्ति पर अतिक्रमण (Trespass):** बिना अनुमति के किसी की जमीन पर प्रवेश करना।

उद्देश्य:

- अपकृत्य का मुख्य उद्देश्य क्षतिग्रस्त व्यक्ति को **मुआवजा** प्रदान करना है।
- यह अपराधी को अनुशासन में रखने और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए एक **निवारक उपाय** भी है।

निष्कर्ष:

अपकृत्य व्यक्तिगत अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखने का एक कानूनी साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित न किया जाए और किसी भी तरह की क्षति या अन्याय के लिए न्याय प्राप्त हो।